




(13)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र., गवालियर केम्प जबलपुर

पुनरीक्षण प्रक.कृ.— १/किंगरनी/जबलपुर/भ.रा/२०१७/६३७७

(29)



1. किशोरी राय पिता नोखेलाल राय उम्र 50 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम रानीताल तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
2. प्रेमलाल बसोर पिता समना बसोर उम्र 55 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी ग्राम केवलारी तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

— पुनरीक्षणकर्त्तागण

विरुद्ध

नवल सिंह पिता भारतसिंह राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

— उत्तरापेक्षी

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्त्ता गण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय सिहोरा द्वारा रा. प्रक.कृ. 40-अ-70/16-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18/12/2017 से व्यक्ति होकर अन्य के साथ निम्न लिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण पेश करते हैं:-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि ग्राम केवलारी प०ह०न० 25 रा०नि०म० खितौला तहसील सिहोरा जिला जबलपुर स्थित भूमि ख०न० 79 उन्यासी रकबा 0.480 शून्य दशमलव चार आठ शून्य है० भूमि है जिसका पूर्व ख०न० 52 बावन है। वर्तमान में इस भूमि के दो बटांक हो गए हैं 79/1 उन्यासी बटा एक एवं 79/2 उन्यासी बटा दो। इस मूल ख०न० 79 उन्यासी के पूर्व में ओंकार की जमीन पश्चिम में शासकीय आबादी भूमि उत्तर में शासकीय नाला तथा दक्षिण में रामकिशन की भूमि है। इस भूमि के संबंध में हक संबंधी विवाद न्यायालय श्रीमान् अहमद रजा व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 सिहोरा के न्यायालय में लंबित है। जिसकी पेशी दिनांक 05.01.2018 को व्यवहार न्यायालय सिहोरा के समक्ष नियत है।
2. यह कि उसी विवादित भूमि के बटांक खसरा नंबर की भूमि को उत्तरापेक्षी ने विवादित होने के कारण बाहुबल के आधार पर निपटाने की नीयत से खरीदकर पुनरीक्षणकर्त्तागण के विरुद्ध एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 भू राजस्व संहिता के तहत पेश किया है जिसकी कार्यवाही तहसीलदार सिहोरा द्वारा बहुत ही तेजी से की जा रही है।
3. यह कि पुनरीक्षणकर्त्तागण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक



(3)

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – एक / निग० / जबलपुर / भू.रा. / 2017 / 6377

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निग० तहसीलदार सिहोरा के प्रकरण क्रमांक 40/अ-70/2016-17, में पारित आदेश दिनांक 18-12-17 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने उक्त आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 22-4-13 द्वारा निर्धारित 6 माह की अवधि पूर्व में ही व्यतीत हो चुकी है एवं लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। उनहोंने यह भी स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ न्यायालय से भूमि पर कब्जा करने संबंधी लंबित प्रकरण के संबंध में निषेधाज्ञा जैसे ही प्राप्त होगी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p>पक्षकार सूचित हों।</p>   <p>प्रशान्त सदस्य</p>	